राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2603/2024

सुनील कुमार चाहर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. राजस्थान पुलिस महानिदेशक, जयपुर।
3. पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला बारां।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाडा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.08.2024

आदेश की दिनांक : 30.09.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एस.राघव, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में कांस्टेबल के पद पर पुलिस थाना आसींद, भीलवाडा में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर वर्ष 2008 में जिला बारां में नियुक्त हुआ, जिसमें अपीलार्थी की मेरिट क्रमांक 52/08–09 बारां थी। अपीलार्थी को दिनांक 20.09.2010 को स्थायी किया गया। दिनांक 14.05.2018 को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को कोटा ग्रामीण में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया

गया और अपीलार्थी ने उक्त स्थान पर कार्यग्रहण किया और अपीलार्थी उक्त स्थान पर सेवायें देता रहा परंतु उसका वेतन मूल विभाग बारां से आहरित होता रहा। आदेश दिनांक 08.10.2020 के द्वारा अपीलार्थी को कोटा से भीलवाडा शिकायती आधार पर स्थानांतरित किया गया और इस प्रकार प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर अपीलार्थी ने उक्त आदेश की पालना में दिनांक 03.11.2020 को जिला भीलवाडा में कार्यग्रहण किया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा समय–समय पर वरिष्ठता सूची जारी की गई और वरिष्ठता के आधार पर अपीलार्थी हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति योग्य है। पुलिस अधीक्षक, बारां द्वारा दिनांक 16.05.2024 के क्रम में वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें क्रम संख्या 144 पर श्री कौशल किशोर नागर, जिनकी मेरिट क्रमांक 51/08–09 थी तथा श्री विक्रमादित्य जिनकी मेरिट क्रमांक 54/08–09 थी और अपीलार्थी उनसे मेरिट क्रमांक में ऊपर था। जिसके संबंध में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन दिया, जिसे निस्तारण भी नहीं किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी को जिले से बाहर स्थानान्तरित किया गया। जबकि कांस्टेबल के पद की वरिष्ठता जिला स्तर पर ही संधारित की जाती है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 4754/2017 सुरेश चंद बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, जिसमें ऐसे कार्मिकों का स्थानांतरण जिले से बाहर किया जाना अनुचित माना है। पंरतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुये बारां जिले से भीलवाडा जिले में स्थानांतरण किया गया, जो नियम विरूद्ध है और जिससे अपीलार्थी की वरिष्ठता पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी की वरिष्ठता को दुरूस्त किया जावे और जिला बारां में ही उसकी वरिष्ठता का संधारण किया जावे तथा वरिष्ठता के आधार पर अपीलार्थी को हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे एवं पत्र दिनांक 16.05.2024 जिसके द्वारा अपीलार्थी का नाम जिला बारां की वरिष्ठता सूची से हटाया गया है, को अपास्त फरमाया जावे और समस्त लाभ आदि भी प्रदान किये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन कांस्टेबल के पद पर पुलिस थाना आसींद, भीलवाडा में कार्यरत है। परंतु अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष